

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) भादरा जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी:- श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस

क्रमांक :- दुरुस्ती / 2025 /


दिनांक :-

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र में मुताबिक तहसीलदार भादरा की रिपोर्ट तथा प्रार्थी शिशपाल पुत्र नोरंगलाल जाति खाती के शपथ पत्र के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में चक 10 एनटीआर के खाता सं० 29/28 तहसील भादरा जिला हनुमानगढ की जमाबन्दी में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

नोट:- यदि पूर्व में किसी संस्था, किसी न्यायालय आदि में कोई मुकदमा अथवा कोई बकाया देय आदि पालाराम पुत्र नोरंगलाल के नाम से हो तो उसके लिए पूर्व नाम पालाराम पुत्र नोरंगलाल ही लागू होगा।


क्र. सं.	ग्राम/चक/पटवार मण्डल	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि ( अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश ( शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
1.	10 एनटीआर	29/28	पालाराम पुत्र नोरंगलाल	शिशपाल पुत्र नोरंगलाल
2.				

  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी( राजस्व )  
भादरा जिला हनुमानगढ  
दिनांक :-

क्रमांक:- सम / 2025 /

प्रतिलिपी :- निम्न को सूचनार्थ एव पालनार्थ

1. तहसीलदार ( राजस्व ) भादरा को भेजकर लेख है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश , विवाद एव बैक रहन न हो तो आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद/अंकन किया जाना सुनिश्चित करे।
2. शिशपाल पुत्र नोरंगलाल को सूचनार्थ।

  
उपखण्ड अधिकारी( राजस्व )  
भादरा जिला हनुमानगढ

